

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1431/2026

Hansraj S/o Prem Kumar, Aged About 25 Years, R/o Village 6 A S  
(Motasar) Police Station Ramsinghpur, Tehasil Anupgargh,  
District- Sriganganagar, Raj.  
(Presently Lodged In Sub- Jail, Anupgargh, District Sri Ganga-  
nagar)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 733/2026

Hetram @ Mangilal S/o Devilal, Aged About 25 Years, R/o  
Goluwala Police Station Goluwala, Tehsil Pilibanga District  
Hanumangarh.  
(Presently Lodged At District Jail Sri Ganganagar)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

---

|                   |   |                                         |
|-------------------|---|-----------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | श्री हितेश कुमार,<br>श्री निशांत मोतसरा |
| For Respondent(s) | : | श्री ऊर्जाराम कलवी, लोक अभियोजक         |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR**

**Order**

**23/03/2026**

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु ये जमानत  
आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस  
थाना— रामसिंहपुर, जिला— अनूपगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—  
109/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 395, 435, 323, 341 भारतीय दंड संहिता  
में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को धारा 395, 435, 323, 341 भारतीय दंड संहिता व धारा 6/25(क) आयुध अधिनियम के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण तारसिंह, राकेश कुमार, सुनील कुमार एवं बबलू के कथन विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण क्रमशः 05.06.2024 व 02.06.2024 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। अन्य समानांतर सहअभियुक्तगण राजू एवं डालचन्द उर्फ मनीष का जमानत आवेदन समकक्ष पीठ द्वारा एकलपीठ दांडिक विविध तृतीय आवेदन संख्या 3564/2025 आदेश दिनांकित 11.12.2025 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के आगामी विचारण में लम्बा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दो ट्रकों में लूट कारित की गयी है और लूट कारित करने के उपरांत ट्रक में रिष्टी कारित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के सचेत आधिपत्य से लूट में छीना गया माल बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त हंसराज के विरुद्ध पूर्व में एक प्रकरण धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ है तथा हेतराम उर्फ मांगीलाल के विरुद्ध नौ प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में विभिन्न अपराधों के अंतर्गत पंजीबद्ध हुए हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण अभ्यस्त अपराधी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण राजू एवं डालचन्द उर्फ मनीष का जमानत आवेदन समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 11.12.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण लगभग दो वर्ष से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षीगण के कथन विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किये जा चुके हैं। अतः उपरोक्त समस्त

तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **हंसराज पुत्र प्रेमकुमार एवं हेतराम उर्फ मांगीलाल पुत्र देवीलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्त:-

प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह (प्रत्येक) प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

**(PRAVEER BHATNAGAR),J**